संख्या-15/2016/ 65 /1-4-2016-01 बी-4/16

प्रेषक,

सुरेश चन्द्रा,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद उ0 प्र0,
लखनऊ।

राजस्व अनुभाग-4 **लखनऊ दिनांक 04 अप्रैल, 2016**

विषयः- अनुदान संख्या-50 लेखाशीर्षक-3053-नागर विमानन-आयोजनेत्तर-02-विमान पत्तन-102-हवाई अड्डा-03-हवाई पट्टियों के रख-रखाव तथा प्रबन्ध के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 की वित्तीय स्वीकृत के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च, 2016 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ हे कि चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-50 लेखाशीर्षक-3053- नागर विमानन-आयोजनेत्तर-02-विमान पत्तन-102-हवाई अड्डा-03-हवाई पट्टियों के रख-रखाव तथा प्रबन्ध के अन्तर्गत विभिन्न मानक मदों में आय-व्ययक में प्राविधिनित धनराशि के सापेक्ष **रू0-2,55,72,000/- (रूपये दो करोड पच्चपन लाख बहत्तर हजार मात्र)** की धनराशि जिसका मदवार विवरण निम्नलिखित है, को वित्त विभाग के उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 22 मार्च, 2016 में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन निम्न विवरण के अनुसार आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है-:

(धनराशि हजार रूपये में)

मानक मद	**वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि**	**वित्तीय वर्ष 2016-17 में व्यय किये जाने हेतु स्वीकृत धनराशि**
01-वेतन	9000	9000
02-मजदूरी	12	12
03-मंहगायी भत्ता	12240	12240
04-यात्रा व्यय	50	50
05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	20	20
06-अन्य भत्ते	800	800
08-कार्यालय व्यय	400	400
09-विद्युत देय	2500	2500
42-अन्य व्यय	200	200
43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	50	50
49-चिकित्सा व्यय	150	150
51-वर्दी व्यय	150	150
योग-03	25572	25572

(रूपये दो करोड पच्चपन लाख बहत्तर हजार मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- उक्त धनराशि प्रदेश के समस्त जनपदों को विभिन्न मानक मदों के अन्तर्गत आवंटित करने हेतु आपके निर्वतन पर रखी जाती है

3- उक्त आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का व्यय केवल चालू योजनाओं/मदों पर ही किया जाय और किसी भी दशा में इस धनराशि का उपयोग नई मदों/सेवाओं पर व्यय न किया जाय। साथ ही साथ मदों के क्रियान्वयन में व्यय हेतु धन आवंटित करते समय व्यय स्वीकृत धनराशि की भीतर ही सीमित रखा जाय और बजट मैनुअल में निहित वित्तीय निर्देशों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

4- व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल फाईनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा सक्षम प्राधिकारी की सहमति की आवश्यकता हो उनमें व्यय करने से पहले ऐसी स्वीकृत अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

5- व्यय करते समय मितव्ययिता के संबंध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

6- उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के पैरा-88 में दिये गये प्राविधानानुसार किये जाने वाला व्यय कडाई के साथ प्राधिकृत विनियोग के भीतर रखा जाय। इस संबंध में बी0एम0-13 प्रपत्र पर नियमित रूप से प्रतिमाह सूचना दो प्रतियों मे शासन को अवश्य उपलब्ध करायी जाये।

7- उक्त धनराशि का व्यय शासन द्वारा शासकीय व्यय में मितव्ययता संबंधी समय-समय पर निर्गत शासनादेशों तथा वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च, 2016 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा।

8- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-50 लेखाशीर्षक-3053-नागर विमानन-आयोजनेत्तर-02-विमान पत्तन-102-हवाई अड्डा-03-हवाई पट्टियों के रख-रखाव तथा प्रबन्ध के अन्तर्गत सुसंगत मदो व प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

(सुरेश चन्द्रा)
प्रमुख सचिव ।

संख्या-15/2016 /65(1) /1-4-16-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -:

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परिक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5
4- वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1
5- राजस्व अनुभाग-6
6- गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(आनन्द कुमार राय)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in